## Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंग्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

17421

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2011/भाद्र 24, 1933

No. 1742]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2011/BHADRA 24, 1933

विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2011

का.आ. 2083(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22 ग की उप-धारा (1) के तीसरे परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए विवादित संपत्तियों के मूल्य की सीमा उक्त अधिनियम की धारा 22 ग की उप-ध ारा (1) के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट ''दस लाख रुपये'' से बढ़ाकर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ''पच्चीस लाख रुपये'' करती है।

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन III (वि.का.)] एम. ए. खाँ यूसुफ़ी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION.

New Delhi, the 15th September, 2011

S.O. 2083(E).—In exercise of the powers conferred under third proviso to sub-section (1) of Section 22 C of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in consultation with the Central Authority hereby increases the limit of the value of properties in dispute for the purpose of determining the jurisdiction of Permanent Lok Adalat from "ten lakh rupees" as specified in the second proviso to sub-section (1) of Section 22 C of the said Act to "twenty five lakh rupees" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-60011/37/2004-Admin. III (LA)] M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. and Legal Adviser

